न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 38/2018

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
लता टाटिया पत्नि श्री कमोद टाटिया, जाति ओसवाल, निवासी ई 83, शास्त्री नगर, जोधपुर ।		01. भंवरीदेवी पत्नि जसराज 02. रतनसिंह पुत्र जसराज 03. महेन्द्रसिंह पुत्र जसराज 04. रमेश पुत्र जसराज जातियान माली, निवासीगण ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 05. पार्वतीदेवी पुत्री जसराज, जाति माली, निवासी इन्द्रा कोलोनी, ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 06. भीमराज पुत्र लिखमाराम 07. सन्तोकराज पुत्र लिखमाराम 08. खेताराम पुत्र लिखमाराम 09. गोमती पत्नि लिखमाराम जातियान माली, निवासीगण ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 10. विद्या पत्नि चैनाराम पुत्री लिखमाराम, जाति माली, निवासी मालीयों की उगुणी, हथाई, पीपाड़ शहर, जोधपुर । 11. मीमा पत्नि भैराराम पुत्री लिखमाराम, के कायम मुकामः– 11/1. कान्तिलाल पुत्र भैराराम, 11/2. भंवरलाल पुत्र भैराराम 11/3. राजेन्द्र पुत्र भैराराम 11/4. विजय पुत्र भैराराम 11/5. कमला पुत्री भैराराम जातियान माली, निवासीगण पांचेटिया मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली । 12. गोविन्दराम पुत्र चन्द्राराम 13. प्रकाशमल पुत्र चन्द्राराम 14. शान्ति पत्नि चन्द्राराम जातियान माली, निवासीगण ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 15. पुखराज पुत्र नारायणराम 16. मोहनलाल पुत्र नारायणराम 17. बाबुलाल पुत्र नारायणराम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

18. कालुराम पुत्र शंकरलाल

जातियान माली, निवासीगण ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।

19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी ।

20. रमेश कानूगों पुत्र भंवरलाल कानूगों, जाति ओसवाल, निवासी सूर्या कोलोनी, रेजीडेन्सी रोड़, जोधपुर ।

21. शांतिदेवी पत्नि मांगीलालजी, जाति ओसवाल, निवासी 43 बी, नेहरू पार्क, सरदारपुरा, जोधपुर ।

22. कैलाश छाजेड़ पुत्र चम्पालाल, जाति ओसवाल, निवासी हमीरपुरा मार्ग संख्या 04, बारदानवाली गली, बाड़मेर ।

23. सौरभ कपूरिया पुत्र श्री सतकरणजी, जाति माहेश्वरी, निवासी 102, हनवंत विला, पावटा बी रोड़, जोधपुर ।

दावा वास्ते बंटवाड़ा अर्न्तगत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

उपस्थितिः–

01. वादीनी की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।

02. प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति ।

आदेश

दिनांक :– 2/3/2021

पत्रावली आज पेश हुई । प्रकरण में दिनांक 31.10.2019 को बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेश पारित किया जाकर वाद प्राथमिक डिकी किया गया । तहसीलदार लूणी द्वारा ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 149 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 151 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 153 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा, का बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भू.अ./2020/5781 दिनांक 24.08.2020 को तैयार कर प्रस्तुत किया गया ।

तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 14.07.2020 अनुसार ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 149 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 151 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 153 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा, का बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किया गया जिसके अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव निम्न अनुसार हैं :–

क.सं.	खातेदार	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
01.	लता टाटिया पत्नि कमोद	151/2	01–19 बीघा	चाही 1	2.44
	टाटिया, जाति ओसवाल,	153/2	11–05 बीघा	चाही 1	14.06
	सा. ई 83, शास्त्रीनगर	कुल 02	13–04 बीघा	चाही 1	16.50
	जोधपुर खातेदार ।				
02.	भंवरीदेवी पत्नि जसराज,	149	11–04 बीघा	चाही 1	14.00
	रतनसिंह, महेन्द्रसिंह,रमेश	151	04–17 बीघा	चाही 1	06.06
	पि. जसराज, पार्वतीदेवी	153	05–11 बीघा	चाही 1	06.94
	पत्नि जसराज,				
	(रकबा 00.14.08बीघा)	कुल 03	21–12 बीघा	चाही 1	27.00
	भीमराज, सन्तोकराज,				

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

खेताराम पि. लिखमाराम,
गोमती पत्नि लिखमाराम,
गोविन्दराम, प्रकाशमल,
पि. चन्दाराम, शांति पत्नि
चन्दाराम(रकबा 06.19.04बीघा)
पुखराज, मोहनलाल, बाबुलाल
पि. नारायणराम(रकबा 05.09.04बीघा)
कालुराम पुत्र शंकरलाल
(रकबा 05.09.04बीघा)
जाति माली, सा.देह
रमेश कानूगो पुत्र भंवरलाल कानूगो,
जाति ओसवाल, निवासी 8 सूर्या
कोलोनी, रेजीडेन्सी रोड़, जोधपुर
शान्तिदेवी पत्नि मांगीलाल, जाति
ओसवाल, सा. 43 बी नेहरूपार्क
सरदारपुरा, जोधपुर
कैलाश छाजेड़ पुत्र चम्पालाल छाजेड़,
जाति ओसवाल, सा. हमीरपुरा, मार्ग
नं0 4, बरदान वाली गाली बाड़मेर
सौरभ कपुरिया पुत्र सतकरण कपुरिया
जाति माहेश्वरी, सा. 102, हनवंत विला
पावटा बी रोड़, जोधपुर(03 बीघा)खातेदार

उपरोक्तानुसार वादीनी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैं तथा उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव की मौका फर्द में उपरोक्त हिस्से अनुसार नजरी नक्शा भी वादीनी के मौके पर काबिज अनुसार तथा हिस्से अनुसार दर्शाया गया हैं तथा मौका फर्द में स्पष्ट लिखा हुआ हैं कि वादीनी लता टाटिया पत्नि कमोद टाटिया द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर मौके पर पक्की चार दिवारी की हुई हैं।

प्रतिवादीगण द्वारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया । प्रकरण में अधिवक्ता वादी श्री प्रेमकुमार देवड़ा एवं अधिवक्ता प्रतिवादी श्री हनुमान प्रजापति की बहस सुनी गयी । अधिवक्ता वादीनी द्वारा अपनी बहस में बताया गया कि वादीनी उपरोक्त खसरान की सहखातेदार अवश्य हैं लेकिन मौके पर वादीनी का अलग कब्जा काश्त हैं लेकिन राजस्व नक्शें में सामलाती एवं जमाबन्दी में सहखातेदार के रूप में दर्ज हैं इसलिये वादीनी को अपना हिस्सा अलग करवाने एवं राजस्व नक्शें में भी तरमीम दर्ज करवाने का कानूनी अधिकार हैं लेकिन प्रतिवादीगण वादीनी के हिस्से को अलग करवाने हेतु सहमती ही प्रकट नहीं कर रहें हैं एवं वादीनी के हिस्से की भूमि को लेकर अनावश्यक ही विवाद कर रहें हैं ऐसी स्थिति में तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव की मौका फर्द से भी स्पष्ट हैं कि वादीनी के हिस्से की भूमि के चारों तरफ चारदीवारी बनी हुई हैं जिस पर वादीनी का कब्जा हैं । इसलिये वादीनी का वाद बंटवाड़ा प्रस्तुत अनुसार स्वीकार किया जाकर वादीनी के हिस्से के अलग बटटा नं0 दर्ज करते हुए राजस्व नक्शें में बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार तरमीम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाया जावें । इसके विपरित प्रतिवादी अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति ने विरोध करते हुए वादीनी के हिस्से की भूमि को ही अलग नहीं किये जाने का निवेदन किया तथा यह भी बताया कि

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

जमाबन्दी में जितने भी खातेदार हैं उन सबका हिस्सा भी अलग किया जावें एवं तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव को डी पार्ट में रखते हुए पुनः बंटवाड़ा प्रस्ताव सभी खातेदारों के हिस्से अलग अलग करते हुए मंगवाया जावें एवं अंत में निवेदन किया कि तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद स्वीकार नहीं किया जावें ।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । चूंकी प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पुनः बंटवाड़ा प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया हैं जो कि न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं क्योंकि जब प्रतिवादीगण की तरफ से कोई जवाब ही प्रस्तुत नहीं किया गया हैं एवं न ही सभी प्रतिवादीगण बावजूद सूचना तामिल को उपस्थित ही नहीं हुए हैं ऐसी स्थिति में सभी प्रतिवादीगण के हिस्सो को अलग किये जाने के कोई आधार नहीं बनते हैं । ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता हैं । चूंकी वादीनी द्वारा अपना हिस्सा राजस्व रेकर्ड में अलग करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया हैं जबकि प्रतिवादीगण द्वारा न तो जवाबदावा प्रस्तुत किया गया हैं एवं न ही प्रतिवादीगण ने किसी तरह का कोई काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया हैं ऐसी स्थिति में वादीनी का वाद तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 14.07.2020 अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं ।

आदेश

अतः वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया जाता हैं कि ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 149 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 151 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 153 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा, के सम्बन्ध में बंटवाड़ा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 14.07.2020 में दर्शाये गये हिस्से अनुसार वादीनी का वाद डिक्री किया जाता हैं । मौका फर्द दिनांक 14.07.2020 इस आदेश का अभिन्न अंग समझी जावेंगी । तहसीलदार लूणी वादीनी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से मौका फर्द बंटवाड़ा प्रस्ताव में दर्शाये गये हिस्से अनुसार अलग अलग बटटा नं0 दर्ज करते हुए राजस्व रेकर्ड में आवश्यक इन्द्राज कर नक्शें में अलग अलग तरमीम दर्ज करें । तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो ।

(गोपाल परिहार)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

निर्णय आज दिनांक 2/3/2021 को बसरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

(गोपाल परिहार)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 38/2018

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
लता टाटिया पत्नि श्री कमोद टाटिया, जाति ओसवाल, निवासी ई 83, शास्त्री नगर, जोधपुर ।		01. भंवरीदेवी पत्नि जसराज 02. रतनसिंह पुत्र जसराज 03. महेन्द्रसिंह पुत्र जसराज 04. रमेश पुत्र जसराज जातियान माली, निवासीगण ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 05. पार्वतीदेवी पुत्री जसराज, जाति माली, निवासी इन्द्रा कोलोनी, ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 06. भीमराज पुत्र लिखमाराम 07. सन्तोकराज पुत्र लिखमाराम 08. खेताराम पुत्र लिखमाराम 09. गोमती पत्नि लिखमाराम जातियान माली, निवासीगण ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 10. विद्या पत्नि चैनाराम पुत्री लिखमाराम, जाति माली, निवासी मालीयों की उगुणी, हथाई, पीपाड़ शहर, जोधपुर । 11. मीमा पत्नि भैराराम पुत्री लिखमाराम, के कायम मुकामः– 11/1. कान्तिलाल पुत्र भैराराम, 11/2. भंवरलाल पुत्र भैराराम 11/3. राजेन्द्र पुत्र भैराराम 11/4. विजय पुत्र भैराराम 11/5. कमला पुत्री भैराराम जातियान माली, निवासीगण पांचेटिया मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली । 12. गोविन्दराम पुत्र चन्द्राराम 13. प्रकाशमल पुत्र चन्द्राराम 14. शान्ति पत्नि चन्द्राराम जातियान माली, निवासीगण ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 15. पुखराज पुत्र नारायणराम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

16. मोहनलाल पुत्र नारायणराम

17. बाबुलाल पुत्र नारायणराम

18. कालुराम पुत्र शंकरलाल

जातियान माली, निवासीगण ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।

19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी ।

20. रमेश कानूगों पुत्र भंवरलाल कानूगों, जाति ओसवाल, निवासी सूर्या कोलोनी, रेजीडेन्सी रोड़, जोधपुर ।

21. शांतिदेवी पत्नि मांगीलालजी, जाति ओसवाल, निवासी 43 बी, नेहरू पार्क, सरदारपुरा, जोधपुर ।

22. कैलाश छाजेड़ पुत्र चम्पालाल, जाति ओसवाल, निवासी हमीरपुरा मार्ग संख्या 04, बारदानवाली गाली, बाड़मेर ।

23. सौरभ कपूरिया पुत्र श्री सतकरणजी, जाति माहेश्वरी, निवासी 102, हनवंत विला, पावटा बी रोड़, जोधपुर ।

दावा बाबत विभाजन कृषि जोत अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 38/2018 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः आदेश है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी भूमि ग्राम सालावास, तहसील लूणी के खसरा संख्या 149 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 151 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 153 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा,का बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 14.07.2020 अनुसार स्वीकार किया जाता हैं तदनुसार तहसीलदार लूणी राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार आवश्यक अमल दरामद करें ।

नीज..मुबलिक..............................बाबत..................................खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह..फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक..को अदा करें।
बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 2/3/2021 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प			स्टाम्प अरजी दावा		
वकालतनामा			स्टाम्प		
स्टाम्प वजह सबूत			वकालतनामा		
महनताना वकील			स्टाम्प वजह सबूत		
खर्चा गवाहान			महनताना वकील		
फीस कमिश्नर			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक			फीस कमिश्नर		
मीजान			बाबत इजराय हुक्मनामा		
			मुतफर्रिक		
			मीजान		

न्यायालय सहायक कलक्टर, एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी